मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462011
फोन नं. 0755–2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755–2550498
ई–मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाईट : www.vyapam.nic.in

मध्यप्रदेश शासन के आयुष विभाग के अंतर्गत पैरामेडीकल स्टॉफ की सीधी भर्ती, सीधी भर्ती– बैकलॉग एवं संविदा भर्ती के विभिन्न रिक्त पदों हेतु चयन परीक्षा–2013

परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम–पुस्तिका

ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि		25.06.2013
ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि		24.07.2013
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में सशोधन करने की प्रारम्भ तिथि		25.07.2013
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में सशोधन करने की अंतिम तिथि		03.08.2013
परीक्षा दिनांक व दिन		01.09.2013 (रविवार)
परीक्षा शुल्क	सीधी भर्ती एवं संविदा भर्ती के पदों हेतु	अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए – 500/– अनु. जाति/जनजाति/निःशक्तजन के लिए – 250/–
	सीधी भर्ती–बैकलॉग के पदों हेतु	कोई शुल्क नहीं।
ऑनलाईन आवेदन–पत्र हेतु एम.पी. ऑनलाईन का शुल्क रू. 50/– देय होगा।		

समय सारणी

पदनाम परीक्षा, दिनांक एवं दिन	परीक्षा प्रारम्भ समय	उत्तरशीट्स वितरण समय	उत्तरशीट में आवश्यक जानकारियॉं भरने का समय	प्रश्न–पत्र वितरण समय	प्रश्न–पत्र परीक्षण का समय	उत्तरशीट में उत्तर भरने का समय
1. आयुर्वेद कंपाउंडर, होम्योपैथी कंपाउंडर, यूनानी कंपाउंडर, महिला आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्ता, कंपाउंडर (फार्मासिस्ट) आयुर्वेद, कंपाउंडर(फार्मासिस्ट) होम्योपैथी, के पदों हेतु दिनांक 01.09.2013 (रविवार)	प्रातः 10:00 बजे से	प्रातः 10:00 बजे से	प्रातः 10:00 से 10:10 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 10:10 बजे	प्रातः 10:10 से 10:15 बजे तक (05 मिनट)	प्रातः 10:15 से 12:15 बजे तक (2:00 घंटे)
2. औषधालय सेवक (दवासाज), बहुउद्देशीय आयुष कार्यकर्ता पुरूष, बहुउद्देशीय आयुष कार्यकर्ता महिला, संविदा अटेंडेट महिला, संविदा अटेंडेट पुरूष के पदों हेतु दिनांक 01.09.2013 (रविवार)	दोपहर 03:00 बजे से	दोपहर 03:00 बजे से	दोपहर 03:00 से 03:10 बजे तक (10 मिनट)	दोपहर 03:10 बजे	दोपहर 03:10 से 03:15 बजे तक (05 मिनट)	दोपहर 03:15 से 05:15 बजे तक (2:00 घंटे)

टिप्पणी :–

1. मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों को संलग्न करते हुये हॉर्डकॉपी में ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि तक निर्धारित प्रारूप (नियम पुस्तिका के प्रारूप–3) में आयुक्त, संचालनालय, आयुष, मध्यप्रदेश, अपर बेसमेंट ''बी''विंग, सतपुड़ा भवन,भोपाल को प्रेषित करना होगा।
2. परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से 15 मिनट तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात् परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
3. परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व ओ.एम.आर. उत्तरशीट वीक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा।
4. परीक्षा कक्ष में सेल्युलर, मोबाईल फोन, केल्कूलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
5. ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक के द्वारा ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन–पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जवाबदारी/जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
6. परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बॉल प्वाइंट पेन, प्रवेश–पत्र एवं फोटोयुक्त मूल पहचान–पत्र (इनमे से कोई एक–कक्षा 10 वी की फोटोयुक्त अंकसूची/आधार कार्ड/मतदाता पहचान–पत्र/ड्राईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/पासपोर्ट/फोटोयुक्त बैंक पासबुक/विद्यालय या शासकीय संस्था का फोटोयुक्त पहचान–पत्र) लेकर आना अनिवार्य होगा (जिसकी सुरक्षा का दायित्व स्वयं आवेदक का होगा), जिसके अभाव में आवेदक को परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जायेगा।

मध्यप्रदेश शासन के आयुष विभाग के अंतर्गत पैरामेडीकल स्टॉफ की सीधी भर्ती, सीधी भर्ती– बैकलॉग एवं संविदा भर्ती के विभिन्न रिक्त पदों हेतु चयन परीक्षा–2013

विषय–सूची

स.क्रं.	विवरण	पृष्ठ क्रं.
1.	अध्याय–1 – आयुष विभाग के विभागीय चयन नियम	3–14
2.	अध्याय–2 – मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल के परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश	15–22
3.	अध्याय–3 – विस्तृत पाठ्यक्रम	23–30
4.	प्रारूप–1 – प्रश्न–पुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन	31
5.	प्रारूप–2 – आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन	32
6.	प्रारूप–3 – मध्यप्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसेः– बैगा, सहारिया एंव भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप	33

अध्याय–1

विभागीय चयन नियम

1.1 चयन संबंधी अनुदेश :

आयुक्त, आयुष म0प्र0, भोपाल के पत्र क्रमांक– 3/स्था/यूनानी /12/142–143 भोपाल, दिनांक10.04.2013 के अनुसार आयुष विभाग, भोपाल के अंतर्गत पैरामेडीकल स्टॉफ के सीधी भर्ती के कुल 1574 पद, सीधी भर्ती–बैकलॉग के रिक्त कुल 17 पद एवं संविदा भर्ती के कुल 92 पदों के लिए आवेदन कर रहे सभी अभ्यर्थियों पर यह नियम/निर्देश लागू होंगे। उपरोक्तानुसार पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।

1.2 परिभाषाऐं :–

''आरक्षण'' से अभिप्रेत है सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के सदस्यों के लिये पदों का आरक्षण।

''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है कोई जाति,मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमे का यूथ जिसे संविधान के अनुच्छेद 348 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनूसूचित जातियों के रुप में विनिर्दिष्टि किया गया है।

''अनुसूचित जन जाति'' से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ, जिसे सविधांन के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जन जातियों के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

''अन्य पिछड़ा वर्ग'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक –एफ–8–5 पच्चीस–4–84 तारीख 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग किसी रिक्त के संबंध में ।

''भर्ती का वर्ष'' से अभिप्रेत है किसी वर्ष की पहली जनवरी को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की कालावधि ,जिसके भीतर ऐसी रिक्त के प्रति सीधी भर्ती की प्रक्रिया आरम्भ की जाती है।

''मंडल'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल।
''विभाग'' से अभिप्रेत है वह कार्यालय/विभाग जिसके अंतर्गत रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है।

1.3 विभिन्न रिक्त पदों की आरक्षणवार तालिकाः–

(1) सीधी भर्ती

(क) सीधी भर्ती के (आयुर्वेद कंपाउंडर) पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स0 क्र0	श्रेणी	निल		विकलांग		भू.पू.सै.		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
01.	अनारक्षित (UR)	136	58	10 06 अस्थिबाधित 02श्रवण बाधित 02 दृष्टिबाधित	04 02अस्थिबाधित 01श्रवणबाधित 01दृष्टिबाधित	16	07	231
02.	अनुसूचित जाति (SC)	44	19	03 02 अस्थिबाधित 01श्रवण बाधित	01 अस्थिबाधित	05	02	74
03.	अनसूचित जनजाति (ST)	54	23	04 02 अस्थिबाधित 01श्रवण बाधित 01 दृष्टिबाधित	02 01अस्थिबाधित 01श्रवणबाधित	06	03	92
04.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	37	17	03 02 अस्थिबाधित 01श्रवण बाधित	01 अस्थिबाधित	05	02	65
	योग :–	271	117	20	08	32	14	462

(ख) सीधी भर्ती के (होम्योपैथी कंपाउंडर) पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स0 क0	श्रेणी	निल		विकलांग		भू.पू.सै.		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
01.	अनारक्षित (UR)	24	11	02 01 अस्थिबाधित 01 श्रवण बाधित	01 अस्थिबाधित	03	01	42
02.	अनुसूचित जाति (SC)	08	04	01 अस्थिबाधित	00	01	00	14
03.	अनसूचित जनजाति (ST)	09	05	01 अस्थिबाधित	00	01	01	17
04.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	06	04	01 अस्थिबाधित	00	01	00	12
	योग :–	47	24	05	01	06	02	85

(ग) सीधी भर्ती के (यूनानी कंपाउंडर) पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स0 क0	श्रेणी	निल		विकलांग		भू.पू.सै.		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
01.	अनारक्षित (UR)	09	04	01 अस्थिबाधित	00	01	01	16
02.	अनुसूचित जाति (SC)	03	02	——	00	00	00	05
03.	अनसूचित जनजाति (ST)	03	02	——	00	01	00	06
04.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	03	02	——	00	00	00	05
	योग :–	18	10	01	00	02	01	32

(घ) सीधी भर्ती के (महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता) केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण तालिका :

स0 क0	श्रेणी	निल	विकलांग	भू.पू.सै.	योग
		महिला	महिला	महिला	
01.	अनारक्षित (UR)	184	15 09 अस्थिबाधित 03 श्रवण बाधित 03 दृष्टिबाधित	50	249
02.	अनुसूचित जाति (SC)	60	04 02 अस्थिबाधित 01 श्रवण बाधित 01 दृष्टिबाधित	16	80
03.	अनसूचित जनजाति (ST)	74	06 04 अस्थिबाधित 01 श्रवण बाधित 01 दृष्टिबाधित	20	100
04.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	52	04 02 अस्थिबाधित 01 श्रवण बाधित 01 दृष्टिबाधित	14	70
	योग :–	370	29	100	499

(ड.) सीधी भर्ती के (औषधालय सेवक दवासाज) पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स0 क0	श्रेणी	निल		विकलांग		भू.पू.सै.		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
01.	अनारक्षित (UR)	109	47	09 05 अस्थिबाधित 02 श्रवण बाधित 02 दृष्टिबाधित	04 02 अस्थिबाधित 01 श्रवण बाधित 01 दृष्टिबाधित	30	13	212
02.	अनुसूचित जाति (SC)	35	15	03 02 अस्थिबाधित 01 श्रवण बाधित	01 अस्थिबाधित	10	04	68
03.	अनसूचित जनजाति (ST)	43	18	04 02 अस्थिबाधित 01 श्रवण बाधित 01 दृष्टिबाधित	02 01 अस्थिबाधित 01 श्रवण बाधित	12	05	84
04.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	31	13	03 02 अस्थिबाधित 01 श्रवण बाधित	01 अस्थिबाधित	08	04	60
	योग :–	218	93	19	08	60	26	424

(च) सीधी भर्ती के फार्मेसिस्ट(कंपाउंडर) आयुर्वेद पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स0 क0	श्रेणी	निल		विकलांग		भू.पू.सै.		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
01.	अनारक्षित (UR)	09	04	01 अस्थिबाधित	00	01	01	16
02.	अनुसूचित जाति (SC)	03	02	00	00	00	00	05
03.	अनसूचित जनजाति ST)	04	02	00	00	00	00	06
04.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	03	01	00	00	00	00	04
	योग :–	19	09	01	00	01	01	31

(छ) सीधी भर्ती के फार्मेसिस्ट(कंपाउंडर) होम्यापैथी पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स0 क0	श्रेणी	निल		योग
		ओपन	महिला	
01.	अनारक्षित (UR)	02	00	02
02.	अनुसूचित जाति (SC)	01	00	01
03.	अनसूचित जनजाति (ST)	01	00	01
04.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	00	01
	योग :–	05	00	05

(ज) सीधी भर्ती के (बहुउद्देशीय आयुष कार्यकर्ता पुरूष) केवल पुरूष अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण तालिका :

स0 क0	श्रेणी	निल	विकलांग	भू.पू.सै.	योग
		पुरूष	पुरूष	पुरूष	
01.	अनारक्षित (UR)	06	01 अस्थिबाधित	02	09
02.	अनुसूचित जाति (SC)	03	00	00	03
03.	अनसूचित जनजाति (ST)	03	00	01	04
04.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	00	00	02
	योग :–	14	01	03	18

(झ) सीधी भर्ती के (बहुउद्देशीय आयुष कार्यकर्ता महिला) केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण तालिका :

स0 क0	श्रेणी	निल	विकलांग	भू.पू.सै.	योग
		महिला	महिला	महिला	
01.	अनारक्षित (UR)	06	01 अस्थिबाधित	02	09
02.	अनुसूचित जाति (SC)	03	00	00	03
03.	अनसूचित जनजाति (ST)	03	00	01	04
04.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	00	00	02
	योग :–	14	01	03	18

(2) सीधी भर्ती–बैकलॉग

(क) सीधी भर्ती– बैकलॉग के (महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता) केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण तालिकाः

स0 क0	श्रेणी	निल	विकलांग	भू.पू.सै.	योग
		महिला	महिला	महिला	
01.	अनसूचित जनजाति (ST)	13	01 अस्थिबाधित	03	17
	योग :–	13	01	03	17

(3) संविदा भर्ती

(क) संविदा भर्ती के (संविदा अटेंडेट पुरुष) केवल पुरूष अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण तालिकाः

स0 क0	श्रेणी	निल	विकलांग	भू.पू.सै.	योग
		पुरूष	पुरूष	पुरूष	
01.	अनारक्षित (UR)	08	01 अस्थिबाधित	02	11
02.	अनुसूचित जाति (SC)	03	00	01	04
03.	अनसूचित जनजाति (ST)	04	00	01	05
04.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	00	01	03
	योग :–	17	01	05	23

(ख) संविदा भर्ती के (संविदा अटेंडेट महिला) केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण तालिका :

स0 क0	श्रेणी	निल	विकलांग	भू.पू.सै.	योग
		महिला	महिला	महिला	
01.	अनारक्षित (UR)	08	01 अस्थिबाधित	02	11
02.	अनुसूचित जाति (SC)	03	00	01	04
03.	अनसूचित जनजाति (ST)	04	00	01	05
04.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	00	01	03
	योग :–	17	01	05	23

(ग) संविदा भर्ती के संविदा मसाजर (बहुउद्देशीय य आयुष कार्यकर्ता पुरूष) केवल पुरूष अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण तालिका :

स0 क0	श्रेणी	निल	विकलांग	भू.पू.सै.	योग
		पुरूष	पुरूष	पुरूष	
01.	अनारक्षित (UR)	08	01 अस्थिबाधित	02	11
02.	अनुसूचित जाति (SC)	03	00	01	04
03.	अनसूचित जनजाति (ST)	04	00	01	05
04.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	00	01	03
	योग :–	17	01	05	23

(घ) संविदा भर्ती के संविदा मसाजर (बहुउद्देशीय य आयुष कार्यकर्ता महिला) केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण तालिका :

स0 क0	श्रेणी	निल	विकलांग	भू.पू.सै.	योग
		महिला	महिला	महिला	
01.	अनारक्षित (UR)	08	01 अस्थिबाधित	02	11
02.	अनुसूचित जाति (SC)	03	00	01	04
03.	अनसूचित जनजाति (ST)	04	00	01	05
04.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	00	01	03
	योग :–	17	01	05	23

1.4 पदनाम, वेतनबैंड + ग्रेडपे तथा न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :–

(1) सीधी भर्ती/सीधी भर्ती– बैकलॉग

स0क0	पदनाम व वेतनबैंड+ग्रेडपे	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता
01.	कंपाउंडर आयुर्वेद 5200–20200+1900 ग्रेडपे	1. अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश अथवा समकक्ष बोर्ड से 12वीं (10+2) कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 2. एक वर्षीय औषधि संयोजक (कपाउंडर) आयुर्वेद पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना आवश्यक है । 3. म.प्र. पैरामेडीकल काउंसिल में पंजीयन होना आवश्यक है।
02.	कंपाउंडर होम्योपैथी 5200–20200+1900 ग्रेडपे	1. अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश अथवा समकक्ष बोर्ड से 12वीं (10+2) कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 2. होम्योपैथी फार्मेसी में डिप्लोमा/एक वर्षीय होम्यो कंपाउंडर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना आवश्यक है । 3. म.प्र. पैरामेडीकल काउंसिल में पंजीयन होना आवश्यक है।
03.	कंपाउंडर यूनानी 5200–20200+1900 ग्रेडपे	1. अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश अथवा समकक्ष बोर्ड से 12वीं (10+2) कक्षा उत्तीर्ण जिसमें उर्दू या फारसी एक विषय हो। 2. ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता जिन्हें यूनानी औषधियों का ज्ञान हो।

04.	कंपाउंडर (फार्मासिस्ट) आयुर्वेद 5200—20200+1900 ग्रेडपे	1. अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश अथवा समकक्ष बोर्ड से 12वीं (10+2) कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 2. आयुर्वेदिक फार्मेसी में डिप्लोमा/एक वर्षीय औषधि संयोजक (कपाउंडर) आयुर्वेद पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना आवश्यक है । 3. म.प्र. पैरामेडीकल काउंसिल में पंजीयन होना आवश्यक है।
05.	कंपाउंडर (फार्मासिस्ट) होम्योपैथी 5200—20200+1900 ग्रेडपे	1. अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश अथवा समकक्ष बोर्ड से 12वीं (10+2) कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 2. होम्योपैथी फार्मेसी में डिप्लोमा/एक वर्षीय होम्यो कंपाउंडर पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना आवश्यक है । 3. म.प्र. पैरामेडीकल काउंसिल में पंजीयन होना आवश्यक है।
06.	महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता 4440—7440+1800 ग्रेडपे	1. अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश अथवा समकक्ष बोर्ड से 12वीं (10+2) कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 2. एक वर्षीय महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 3. म.प्र. पैरामेडीकल काउंसिल में पंजीयन होना आवश्यक है।
07.	औषधालय सेवक(दवासाज) 4440—7440+1800ग्रेडपे	1. अभ्यर्थी को पूर्व माध्यमिक परीक्षा (आठवीं) उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
08.	बहुउददेशीय आयुष कार्यकर्ता पुरूष 4440—7440+1800ग्रेडपे	1. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पंचकर्म पाठ्यक्रम का प्रमाण—पत्र होना आवश्यक है। 2. म.प्र. पैरामेडीकल काउंसिल में पंजीयन होना आवश्यक है।
09.	बहुउददेशीय आयुष कार्यकर्ता महिला 4440—7440+1800ग्रेडपे	1. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पंचकर्म पाठ्यक्रम का प्रमाण—पत्र होना आवश्यक है। 2. म.प्र. पैरामेडीकल काउंसिल में पंजीयन होना आवश्यक है।

(2) संविदा भर्ती

स0 क0	पदनाम व मानदेय	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता
01.	संविदा अटेंडेंट महिला रूपये 6000/— एकजाई (प्रतिमाह)	1. अभ्यर्थी को पूर्व माध्यमिक परीक्षा (आठवीं) उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
02.	संविदा अटेंडेंट पुरूष रूपये 6000/— एकजाई(प्रतिमाह)	1. अभ्यर्थी को पूर्व माध्यमिक परीक्षा (आठवीं) उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
03.	संविदा मसाजर (बहुउददेशीय आयुष कार्यकर्ता) पुरूष रूपये 4000/— एकजाई (प्रतिमाह)	1. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पंचकर्म पाठ्यक्रम का प्रमाण—पत्र होना आवश्यक है। 2. म.प्र. पैरामेडीकल काउंसिल में पंजीयन होना आवश्यक है।
04.	संविदा मसाजर (बहुउददेशीय आयुष कार्यकर्ता) महिला रूपये 4000/— एकजाई (प्रतिमाह)	1. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पंचकर्म पाठ्यक्रम का प्रमाण—पत्र होना आवश्यक है। 2. म.प्र. पैरामेडीकल काउंसिल में पंजीयन होना आवश्यक है।

नोटः— 1. आवेदक के पास न्यूनतम अर्हतायें आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक होना चाहिए। इसके बाद किसी भी दिनांक को अर्हताएँ अर्जित करने वाले आवेदक विज्ञापित पदों के लिए विचारित होने की पात्रता नही रखेंगें।

2. म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.1.2010 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार तथा परिपत्र क्र0796/982/ 2012/आ0प्र0/एक दिनांक 26.12.12 के पालन स्वरूप म0प्र0 के विशेष आदिम जनजाति समुदायो जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया के ऐसे अभ्यर्थी जो नियम पुस्तिका की कंडिका 1.4 में अंकित निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करते हैं, वे अपने आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप (नियम पुस्तिका के प्रारूप–3) में आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक हार्ड कापी में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रो को संलग्न करते हुए सीधे नियुक्ति संबंधी आगामी कार्यवाही हेतु आयुक्त, संचालनालय, आयुष विभाग अपर बेसमेंट ''बी'' विंग, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म0प्र0) को प्रेषित करेंगे। परीक्षा की तिथि के पूर्व उक्त आवेदनों का परीक्षण/नियुक्ति संबंधी कार्यवाही कर आयुष, संचालनालय द्वारा अनुसूचित जनजाति संवर्ग के संशोधित पदों की संख्या से मण्डल को अवगत कराया जाएगा जिसके संबंध में मण्डल द्वारा एक संक्षिप्त संशोधन विज्ञापन भी जारी किया जाएगा यदि पदों की संख्या में कोई परिवर्तन होता है। तदोपरान्त विभाग से प्राप्त अनुसूचित जनजाति के संशोधित पदों तथा अन्य श्रेणियो के पदों के लिए मण्डल द्वारा परीक्षा आयोजन से संबंधित आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के उपरान्त विशेष आदिम जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियो की ओर से प्राप्त आवेदनो के परीक्षण/नियुक्ति संबंधी विभागीय कार्यवाही के उपरांत नियम पुस्तिका की कंडिका 1.3 में उल्लेखित अनुसूचित जनजाति के पदो की संख्या परिवर्तनीय होगी जो अन्य अनुसूचित जनजातियो के अभ्यर्थियो के लिए बंधनकारी होगी। बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियो की नियुक्ति उपरांत शेष रिक्तियों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियो के लिए म0प्र0 शासन के आरक्षण नियमानुसार परीक्षा परिणाम मण्डल द्वारा घोषित किया जाएगा।

1.5 नागरिकता एवं स्थाई निवासी के संबंध में :–

(अ) सीधी भर्ती–बैकलॉग के पदों हेतु

आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में नायब तहसीलदार या उससे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा जारी स्थाई मूल निवासी प्रमाण–पत्र नियुक्ति के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा।

(ब) सीधी भर्ती एवं संविदा भर्ती के पदों हेतु

(I) पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को या तो :–

(क) आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिये, या
(ख) आवेदक को सिक्किम की प्रजा होना चाहिये, या
(ग) भारतीय मूल का कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के अभिप्राय से पाकिस्तान से आया हो, या
(घ) नेपाल की या भारत स्थित किसी पुर्तगाली या फ्रांसीसी प्रदेश की प्रजा होना चाहिये।

टिप्पणी :–

1. उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) में निर्दिष्ट उम्मीदवारों की नियुक्ति उनके पक्ष में राज्य शासन द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के अध्यधीन होगी। उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के संबंध में पात्रता का प्रमाण–पत्र उसकी नियुक्ति के दिनांक से केवल एक वर्ष की अवधि के लिये ही वैध होगा और उसके पश्चात् उसे सेवा में केवल उस स्थिति में ही रखा जा सकेगा, यदि वह भारत का नागरिक बन जाए, तथापि पात्रता के प्रमाण–पत्र निम्नलिखित किसी एक प्रवर्ग के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों के मामले में आवश्यक नहीं होंगे।
    (i) ऐसे व्यक्ति, जो 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से भारत आये थे और तब से भारत में मामूली तौर से, निवास कर रहे हैं।
    (ii) ऐसे व्यक्ति जो 18 जुलाई 1948 के पश्चात् पाकिस्तान से भारत आये थे और जिन्होंने स्वयं को भारत के नागरिक के रूप में पंजीयत करा लिया है।
    (iii) उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) के अंतर्गत आने वाले गैर नागरिक जो संविधान के प्रारंभ होने अर्थात् दिनांक 26 जनवरी 1950 के पूर्व शासन की सेवा में प्रविष्ट हुए थे और जो उस समय से अभी तक ऐसी सेवा में है।
2. किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्यधीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण–पत्र अंततः जारी कर दिया जाए।

3. अभ्यर्थी के पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण–पत्र तहसीलदार/नायब तहसीलदार स्तर से नीचे का न हो तथा जिसे प्रमाण–पत्र परीक्षण/सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

(II) ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित/निल/ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो पद सिर्फ पुरूषों की पात्रता से संबंधित है उनके अनारक्षित/निल/पुरूष के अंतर्गत तथा जो पद सिर्फ महिलाओं की पात्रता से संबंधित है उनके अनारक्षित/निल/महिला के अंतर्गत ऐसे आवेदको द्वारा अपना आवदेन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नही है। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा।

1.6 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा :–

1.6.1 अभ्यर्थियों की आयु सीमा 01 जनवरी 2014 को न्यूनतम 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए । सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन के परिपत्र क्रमांक सी 3–11/12/1/3, दिनांक 03.11.2012 यथा संशोधित परिपत्र क्रमांक सी 3–11/2012/3/एक, दिनांक 20.11.2012 एवं परिपत्र क्रमांक 1930/2547/2013 /1/3 दिनांक 26.11.2012के अनुसार निमन संवर्गों के अतंर्गत आने वाले अभ्यर्थियों की आयुसीमा की गणना निम्नानुसार हैः–

स.क्रं.	आवेदक एवं श्रेणी	अधिकतम आयु सीमा
1.	पुरूष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40 वर्ष
2.	पुरूष आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
3.	पुरूष आवेदक (आरक्षित वर्ग– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष
4.	पुरूष आवेदक (आरक्षित वर्ग–शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
5.	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	45 वर्ष
6.	महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)(विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)	45 वर्ष
7.	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष
8.	म0प्र0 के भूतपूर्व सैनिक आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	43 वर्ष
9.	म0प्र0 के भूतपूर्व सैनिक आवेदक (आरक्षित वर्ग– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष
10.	म0प्र0 के विकलांग आवेदक (समस्त वर्ग)	45 वर्ष

1.6.2 ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं है उनके लिए विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम व अधिकतम आयु का निर्धारण अनारक्षित वर्ग के लिए निर्धारित आयु के अनुसार होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नही मिलेगा।

1.6.3 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटें :–

(क) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारी आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. सी–3–40–आ–84–(3)1, दिनांक 11.01.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जावेगी।

(ख) आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपत्तियों के संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी–3–10–85–3–1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पॉच वर्ष की छूट दी जावेगी।

(ग) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी–3–18–85–3–1, दि. 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 02 वर्ष की छूट दी जावेगी ।

1.6.4 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों की आयु सीमा के संबंध में अन्य विवरण :–

(क) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्तें कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

<u>स्पष्टीकरण</u> :– शब्द ''भूतपूर्व सैनिक'' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता यूनिट (इकाई) की सिफारिशों के फलस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक (सरप्लस) घोषित किया गया हो :–

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व निवृत्ति–रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवा मुक्त किया गया हो,

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा भर्ती किया गया हो, और

(क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर
(ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूरी होने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो,

(3) मद्रास सिविल युनिट (इकाई) के भूतपूर्व कर्मचारी

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें अनुबन्ध पूरा होने पर सेवामुक्त किया गया हो, जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं।

(5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवा मुक्त किया गया हो ।

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हों ।

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेंगे ।

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो,

वास्तविक विस्थापित स्वर्णकारों के अर्थात् उन स्वर्णकारों के मामले में भी जिनके पास श्रम विभाग के ज्ञापन क्रं. 3345–4005–सोलह, तारीख 6 मई 1963 के अनुसार पहचान पत्र हो, अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तक की शिथिल की जा सकेगी।

ऐसा व्यक्ति जो 1.1.1963 के बाद रा.छ.सेना में पूर्णकालिक केडट अनुदेशक के रूप में भरती किया गया हो, अपनी प्रारंभिक वांछित सेवावधि की समाप्ति पर राष्ट्रीय छात्र सेना से निर्मुक्त होने पर अपनी वास्तविक आयु में से राष्ट्रीय छात्र सेना में की गई सेवा की अवधि घटा सकेगा, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह किसी विशिष्ट पद के लिए विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

(ख) ऐसे उम्मीदवार, को जो कि छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा से अधिक से अधिक सात वर्ष की अवधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्तें कि इसके परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो ।

<u>स्पष्टीकरण</u> :– शब्द ''छटनी'' किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा संघटक इकाई में से किसी भी इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः माह तक निरन्तर रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया था ।

टीप– (1) उपर्युक्त उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत जिन उम्मीदवारों को चयन के योग्य माना गया हो वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद, चयन के लिए उपस्थित होने के पूर्व या पश्चात सेवा से त्याग–पत्र दे दें, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी हो जावे तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे। अन्य किसी भी मामले में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जावेगी। विभागीय उम्मीदवारों को चयन के लिए उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

(2) यदि कोई आवेदक प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटों में से निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है, तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ही छूट का लाभ प्राप्त होगा। यह छूट निर्धारित अधिकतम आयु–सीमा के अतिरिक्त होगी। सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु–सीमा 45 वर्ष से अधिक नही होगी।

1.7 चयन का आधार :–

आयुष विभाग के अंतर्गत पैरामेडीकल स्टॉफ के सीधी भर्ती, सीधी भर्ती–बैकलॉग एवं संविदा भर्ती के विभिन्न रिक्त पदों हेतु मध्यप्रदेश व्यावसासिक परीक्षा मण्डल द्वारा लिखित परीक्षा ली जावेगी । लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्नों, प्रत्येक प्रश्न एक अंक का (कुल 100 अंक) व दो घंटे की समयावधि का होगा। प्रश्न–पत्र के विस्तृत पाठ्यक्रम हेतु नियम पुस्तिका का अध्याय–3 देखें। परीक्षा योजना का विवरण निमनानुसार है–

परीक्षा का समय	पदनाम	प्रश्नों का स्तर	विषय	अंक	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक
प्रथम पाली प्रातः 10.00 बजे से 12..15 बजे तक	आयुर्वेद कंपाउंडर, होम्योपैथी कंपाउंडर, यूनानी कंपाउंडर, महिला आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्ता, कंपाउंडर(फार्मासिस्ट) आयुर्वेद, कंपाउंडर(फार्मासिस्ट) होम्योपैथी, के पदों हेतु दिनांक 01.09.2013 (रविवार)	माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. 10+2 की प्रणाली के अंतर्गत कक्षा 12 वीं के स्तर का	म0प्र0 का सामान्य ज्ञान	25	100	100
			सामान्य हिन्दी	25		
		नियमपुस्तिका के अध्याय –3 में उल्लेखित लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम अनुसार	संबंधित व्यावसायिक पाठ्यक्रम (आयुर्वेद / होम्योपैथी / यूनानी / स्वास्थ्य कार्यकर्ता) (नियमपुस्तिका के अध्याय–3 अनुसार)	50		
द्वितीय पाली प्रातः 3.00 बजे से 05..15 बजे तक	औषधालय सेवक (दवासाज), बहुउद्देशीय आयुष कार्यकर्ता पुरूष, बहुउद्देशीय आयुष कार्यकर्ता महिला, संविदा अटेंडेट महिला, संविदा अटेंडेट पुरूष के पदों हेतु दिनांक 01.09.2013 (रविवार)	पूर्व माध्यमिक परीक्षा (कक्षा–आठवीं स्तर का)	म0प्र0 का सामान्य ज्ञान	50	100	100
			सामान्य हिन्दी	25		
			सामान्य गणित	25		

1.8 प्रावीण्य / प्रतीक्षा सूची :–

मण्डल द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के प्राप्ताकों के आधार पर श्रेणीवार / संवर्गवार पदों की संख्या के अनुसार मण्डल द्वारा प्रावीण्य व प्रतीक्षा सूची तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी। चयनित उम्मीदवारों के समस्त मूल दस्तावेजों का परीक्षण कर सही पाये जाने पर एवं जिला मेडीकल बोर्ड द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत नियुक्ति आदेश विभाग द्वारा जारी किया जायेगा ।

1.9 पारस्परिक वरीयता :

लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य / प्रतीक्षा सूची निर्धारित होगी, परन्तु दो व्यक्तियों के प्राप्तांक समान होने पर आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

1.10 सत्यापन / परीक्षण के समय आवश्यक प्रमाण–पत्रों का विवरण :–

1.10.1 मूल / स्थाई निवासी प्रमाण–पत्र :–

मध्यप्रदेश के मूल/स्थाई निवासी आवेदकों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में नायब तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र धारक होना चाहिए।

1.10.2 जाति प्रमाण–पत्र :–

मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के पास अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण–पत्र होना आवश्यक है।

1.10.3 विकलांग प्रमाण–पत्र :–

मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी विकलांग संवर्ग के उम्मीदवार के पास शासन के नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण–पत्र होना आवश्यक है।

1.10.4 भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण–पत्र :–

भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के उम्मीदवार के पास शासन के नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण–पत्र होना आवश्यक है।

1.11 दस्तावेजों/प्रमाण–पत्रों का परीक्षण व चरित्र सत्यापन :

लिखित परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा जारी प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची के आधार पर संबंधित विभागों द्वारा चयन/ नियुक्ति आदेश जारी किये जाने के पूर्व समस्त मूल दस्तावेजों/प्रमाण–पत्रों आदि का सत्यापन/परीक्षण संबंधित विभाग द्वारा किया जायेगा।

विभाग द्वारा चाहे गए समस्त प्रपत्र/दस्तावेज/प्रमाण–पत्र मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप अनुसार अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति/सत्यापन/परीक्षण के समय संबंधित विभागों के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ कोई भी प्रमाण–पत्र/दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाना है।

1.12 अभ्यर्थिता/चयन के संबंध में निर्हर्ताऍ/जानकारी :–

(क) पररूपधारण (इम्परसोनेशन) किया हो या किसी अन्य व्यक्ति से पररूपधारण कराया हो, कार्यवाही करने पर आवेदक परीक्षा से अयोग्य घोषित किये जायेंगे।

(ख) पुरूष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियॉ जीवित हों। इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो।

(ग) ऐसा पुरूष उम्मीदवार जिसने 21 वर्ष की आयु के पूर्व तथा ऐसी महिला उम्मीदवार जिसने 18 वर्ष की आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, लिखित परीक्षा के लिए अनर्ह माना जायेगा।

(घ) जिसकी दो से अधिक संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है, परंतु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।

(ड.) कोई भी उम्मीदवार जिसके विरूद्ध आपराधिक मामला न्यायालय में विचारित है अथवा न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है अथवा जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनर्ह होगा।

(च) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों द्वारा समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिये निरर्हित माना जा सकेगा।

(छ) शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ्य न पाया जाये।

(ञ) फर्जी दस्तावेज/दस्तावेज फेरबदल किया हो/चयन के स्तर पर जानकारी छुपाई हो/सारभूत जानकारी छुपाई हो।

1.13 नियुक्ति की शर्तें :

चयनित अभ्यर्थियों पर संबंधित विभाग के विभागीय नियम व नियुक्ति की शर्तें लागू होगी, जिनका उन्हें पालन करना होगा। नियुक्ति के पूर्व संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक से चरित्र सत्यापन कराया जायेगा तथा नियुक्ति के समय विभाग के नियमानुसार अनुबंध–पत्र का निष्पादन किया जावेगा।

1.14 यात्रा भत्ता का भुगतान :–

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के पत्र क्रं. एफ–6–1/2002/आ.प्र./एक, दिनांक 19.09.2002 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में उपस्थित होने पर आयुक्त, संचालनालय, आयुष विभाग म0प्र0, भोपाल द्वारा यात्रा भत्ता का भुगतान किया जायेगा।

1.15 न्याय क्षेत्र/अधिकार :–

इन विभागीय नियमों के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में जवाबदेह संबंधित विभाग होगा तथा इसका न्याय क्षेत्र माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर तक सीमित होगा।

––––0––––

अध्याय – 2

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल
परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश

महत्वपूर्ण निर्देश :–

2.1 इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन–पत्र आमंत्रित किए जायेंगे, जिसमें चाही गई समस्त जानकारियों के साथ आवेदित पद का विकल्प व प्राथमिकताक्रम दर्शाना होगा। ऑनलाईन आवेदन–पत्र में दी गई जानकारी व विकल्पों के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जायेगी। आवेदक को विभिन्न श्रेणी के पदों हेतु एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

2.2 ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा। अतः बाद में यदि यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी समय पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग/म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा प्रवेश/चयन निरस्त किया जा सकेगा।

2.3 ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की व्यवस्था :–

(1) वेबसाईट www.vyapam.nic.in अथवा www.mponline.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है।

(2) आयुक्त, आयुष म0प्र0 भोपाल के अंतर्गत पैरामेडीकल स्टॉफ की सीधी भर्ती, सीधी भर्ती–बैकलॉग एंव संविदा भर्ती के विभिन्न पदों हेतु अभ्यर्थियो द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत क्योस्क को नगद निर्धारित शुल्क अनारक्षित/अन्य पिछडा जाति के लिए रू. 500/– तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निःशक्तजन के लिए रू. 250/– तथा अतिरिक्त क्योस्क शुल्क रू. 50/– का भुगतान कर भरा जा सकता है। इसके अतिरिक्ति स्वंय के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित बेवसाईट्स से डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्टरो काई)/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है। सीधी भर्ती–बैकलॉग के रिक्त पदो हेतु अभ्यर्थियो द्वारा कोई परीक्षा शुल्क देय नही होगा। उपरोक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने वाले समस्त अभ्यर्थियों द्वारा रू. 50/– क्योस्क शुल्क देय होगा।

(3) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन–पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन–पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश–पत्र प्राप्त किया जा सके।

2.4 ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाना है।

2.5 एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने संबंधी निर्देश :–

ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन–पत्र की जानकारी यथा नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते है ? यदि आवेदक द्वारा ''हॉ'' विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन–पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन–पत्र ही मान्य होगा। विकल्प ''हॉ'' का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई–मेल आईडी पर एम. पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन–पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी। ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन–पत्र के लिए पुनः शुल्क का भुगतान करना होगा।

2.6 ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देशः–

(i) फोटोग्राफ 3.5 से.मी. x 4.5 से.मी. आकार का रंगीन, अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये। पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा ।

(ii) फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये।

(iii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।

(iv) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियॉ सुरक्षित रखा जाना होगा।

(v) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु, अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।

(vi) ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होगें।

(vii) उपरोक्त निर्धारित मापदण्ड की फोटो, हस्ताक्षर व अंगूठे के निशान तीनों की एक ही इमेज jpg फार्मेट में स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ संलग्न किया जाना होगा।

2.7 ऑनलाईन आवेदन भरने के संबंध में निर्देश :

2.7.1 ऑनलाईन आवेदन 25.06.2013 से 24.07.2013 की रात्रि 12:00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते है। ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्वता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

2.7.2 ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने हेतु दो विकल्प हैं :– (अ) इंटरनेट केफे अथवा (ब) स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा

इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन फार्म भरने की विधि :

2.7.2.1 आवेदक www.mponline.gov.in वेबसाईट के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध Citizen Services (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत Application क्लिक कर Vyapam लिंक के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन के आयुष विभाग के अंतर्गत पैरामेडीकल स्टॉफ की सीधी भर्ती, सीधी भर्ती– बैकलॉग एवं संविदा भर्ती के विभिन्न रिक्त पदों हेतु चयन परीक्षा–2013 परीक्षा से संबंधित में ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी निर्देश/Instructions तथा परीक्षा नियम/Examination Rules उपलब्ध होंगे। निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु Continue बटन को क्लिक करें ।

2.7.2.2 ऑनलाईन आवेदन–पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही–सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन–पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा। ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं अंगूठे के निशान तीनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान अंगूठे का निशान, फोटो चिपकाएं तथा हस्ताक्षर कर उसे स्केन कर jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे Browse बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।

2.7.2.3 ऑनलाईन आवेदन–पत्र को Submit करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन–पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही Submit बटन का उपयोग कर आवेदन–पत्र को जमा करें। आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन–पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु proceed to payment बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :–

- क्रेडिट/डेबिट कार्ड।
- इंटरनेट बैंकिंग।

2.7.2.4 क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतानः–
आवेदन–पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2.7.2.5 इंटरनेट बैकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :–
आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है। पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2.7.3 एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :–
एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा। कियोस्कधारक द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन–पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप भलीभांति भरकर देना होगा, जिसके आधार कियोस्कधारक ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जावेगा। कियोस्कधारक द्वारा आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व अंगूठे का निशान स्केन कर ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा। फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही–सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें। भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन–पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

2.7.3.2 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर Unpaid Application लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन–पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन–पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।सकता है।

नोटः– ऑनलाईन आवेदन–पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. Online के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755-4019401, 02, 03, 04, 05 & 06 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

2.8 निर्धारित तिथि में जमा किए गए ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था :–

ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओ के आधार पर होगीः–

2.8.1 ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् अगले दिन से 10 दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र में संशोधन किया जा सकेगा। यह सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन–पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।

2.8.2 संशोधन हेतु निर्धारित 10 दिन की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन–पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क रू. 100/–एवं पोर्टल शुल्क रू. 50/– का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा। इस प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी। परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति श्रेणी से अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।

2.8.3 इस प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो, हस्ताक्षर व अंगुठा निशानी में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी। संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, व्यापम आवेदन–पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

2.8.4 संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा व किसी भी आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नही किया जायेगा।

2.9 ऑनलाईन आवेदन–पत्र का निरस्तीकरण :–

ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवेदक द्वारा उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर नियमपुस्तिका में उल्लेखित निर्धारित मापदंड के अनुरूप न होने अथवा फोटो व हस्ताक्षर अनुपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन–पत्र को निरस्त किया जायेगा तथा ऐसे आवेदकों को ऑनलाईन आवेदन–पत्र अमान्य होने की जानकारी प्रवेश–पत्र में मण्डल की वेबसाईट पर दी जायेगी। एक बार आवेदन पत्र निरस्त होने के उपरांत किसी भी स्थिति में मान्य नही किया जावेगा।

2.10 परीक्षा प्रवेश–पत्र (Test Admit Card) :-

नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन–पत्रों प्रवेश–पत्र (Test Admit Card-TAC) मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध कराए जायेंगे। प्रवेश–पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

प्रवेश–पत्र प्राप्त करने की प्रक्रियाः–

ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश–पत्र मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। मुद्रित किए हुए प्रवेश–पत्र को सत्यापित करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।

नोट– प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाईन आवेदन–पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.11 परीक्षा शहर :–

लिखित परीक्षा केवल चार शहरों क्रमशः भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर में आयोजित की जावेगी। अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर उसे परिवर्तित/निरस्त करने का अधिकार मण्डल सुरक्षित रखता है।

2.12 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :–

परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बॉल प्वाइंट पेन, प्रवेश–पत्र एवं फोटोयुक्त मूल पहचान–पत्र (इनमे से कोई एक–कक्षा 10 वी की फोटोयुक्त अंकसूची/आधार कार्ड/मतदाता पहचान–पत्र/ड्राईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/पासपोर्ट/फोटोयुक्त बैंक पासबुक/विद्यालय या शासकीय संस्था का फोटोयुक्त पहचान–पत्र) लेकर आना अनिवार्य होगा (जिसकी सुरक्षा का दायित्व स्वयं आवेदक का होगा), जिसके अभाव में आवेदक को परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जायेगा।

2.13 इस परीक्षा में किसी भी प्रकार के Calculator उपयोग की मनाही है अर्थात् Scientific Calculator, Mobile Phone, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales आदि पूर्णतः वर्जित है।

2.14 परीक्षा का प्रश्न–पत्र :–

लिखित परीक्षा मे प्रत्येक पाली में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्नों (प्रत्येक प्रश्न एक अंक का) व दो घंटे की अवधि का प्रश्न–पत्र होगा, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर काले बॉल प्वाइंट पेन से काला करना होगा, प्रश्न पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्तर एंव परीक्षा योजना निम्नानुसार होगी–

परीक्षा का समय	प्रश्नों का स्तर	विषय	अंक	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक
प्रथम पाली प्रातः 10.00 बजे से 12..15 बजे तक	माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. 10+2 की प्रणाली के अंतर्गत (कक्षा 12 वीं के स्तर का)	म0प्र0 का सामान्य ज्ञान	25	100	100
		सामान्य हिन्दी	25		
	नियमपुस्तिका के अध्याय –3 में उल्लेखित लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम अनुसार	संबंधित व्यावसायिक पाठ्यक्रम (आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी/स्वास्थ्य कार्यकर्ता) (नियमपुस्तिका के अध्याय–3 अनुसार)	50		
द्वितीय पाली प्रातः 3.00 बजे से 05..15 बजे तक	पूर्व माध्यमिक परीक्षा (कक्षा–आठवीं स्तर का)	म0प्र0 का सामान्य ज्ञान	50	100	100
		सामान्य हिन्दी	25		
		सामान्य गणित	25		

2.15 अनुचित साधन (Unfair Means, UFM) :–

अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) :– निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) के अंतर्गत माना जावेगा :–

(क) परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।
(ख) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।
(ग) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।
(घ) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।
(ड.) अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।
(च) अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका की अदला–बदली करना।
(छ) प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।
(ज) नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
(झ) सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
(ञ) सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।
(ट) परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।

उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका

अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यर्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौपा जायेगा और उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एंव उसके स्थान पर परीक्षा में बैठनें वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा ।

विभाग द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा, ताकि मंडल स्तर से संबंधित अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सके।

2.16 मूल्यांकन पद्धति :–

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero) अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

2.17 त्रुटिपूर्ण प्रश्न, प्रश्नों का निरस्तीकरण एवं बदले में प्रदान किये जाने वाले अंक :–

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा विषय विशषज्ञों से प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते है :–

1. प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।
2. प्रश्न की संरचना गलत हो।
3. उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
4. कोई भी विकल्प सही न हो।
5. यदि प्रश्न–पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न–भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
6. कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
7. अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ द्वारा उचित समझा जाये।

प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न–पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण स्वरूप यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{90 \times 200}{(200-2)} = 90.91 \text{ rounded off to } 91.00$$

नोट :– सभी गणना को दो दशमलव तक राउंडऑफ किया जायेगा।

2.18 प्रश्न–पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन :–

प्रश्न–पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रोफार्मा प्रारूप–1 (प्रश्न पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन) में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा आयोजन की तिथि के उपरांत एक सप्ताह के भीतर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।

2.19 मॉडल आंसर्स के संबंध में अभ्यावेदन/फायनल आंसर्स :–

(1) मॉडल आंसर्स :– परीक्षा के सफल आयोजन के 01 दिन उपरांत प्रश्न पत्र में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर मॉडल उत्तर (Model Answers) के रूप में मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा। मॉडल आंसर में किसी भी प्रकार के त्रुटिपूर्ण उत्तरों के संबंध में परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियां निर्धारित प्रारूप–2 (मॉडल उत्तर के संबंध में अभ्यावेदन) में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा उपरांत मॉडल आंसर्स मंडल की वेबसाईट पर अपलोड करने की तिथि से 01 सप्ताह के भीतर मंडल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकेगी।

(2) फायनल आंसर्स :– प्रारूप 01 में प्रश्न पुस्तिका के त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों तथा प्रारूप 02 में मंडल द्वारा प्रदर्शित माडल उत्तरों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों को ''की'' समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। ''की'' समिति द्वारा सभी अभ्यावेदनों सें संबंधित प्रश्नों/उत्तरो के पूर्ण परीक्षण उपरांत निराकृत करने के पश्चात् फायनल आंसर्स (Final Answers) तैयार किये जायेगे, इस प्रक्रिया में बिन्दु क्रमांक 2.17 अनुसार ''की'' समिति द्वारा प्रश्नों को निरस्त भी किया जा सकेगा। समिति द्वारा उन प्रश्नों/उत्तरो के संबंध में कोई विचार नही किया जायेगा जिन पर अभ्यावेदन प्राप्त नही हुए है। इस प्रकार तैयार फायनल आंसर्स (Final Answers) के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये फायनल आंसर्स (Final Answers) परिणाम उपरांत मण्डल की बेवसाईट पर उपलब्ध रहेगे। ''की'' समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा सभी आवेदकों के लिये बंधनकारी होगा।

2.20 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :–

अध्याय–1 एवं 2 में उल्लेखित नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध होगा। परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त मण्डल की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ–साथ विषयवार आदर्श उत्तर (Subject wise Model Answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।

2.21 अंक सूची की उपलब्धता :

परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत सभी अभ्यर्थियों की अंकसूची मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी अपने रोल नंबर के आधार पर उल्लेखित वेबसाईट से अंकसूची प्राप्त/मुद्रित कर सकते हैं। मण्डल द्वारा डाक से अंकसूची का प्रेषण नहीं किया जायेगा तथा डुप्लीकेट अंकसूची प्रदाय करने का प्रावधान नहीं है।

2.22 लिखित परीक्षा में निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाऍं :–

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ–8–2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधाऍं प्रदान की जायेगी :–

(अ) यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :–

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण–पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण–पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

(ब) प्रदान की जाने वाली सुविधाऍं :–

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को लेखन लिपिक की सुविधा प्रदान की जावेगी। यदि अभ्यर्थी लेखन लिपिक की सुविधा प्राप्त नहीं करता है, तो उसे निम्नानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी :–

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

(स) लेखन लिपिक की नियुक्ति हेतु शर्तें :–

1. लेखन लिपिक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा से एक निचली कक्षा का होना चाहिए।

2. लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी शपथ–पत्र सहित संबंधित परीक्षा केन्द्र के केन्द्र अधीक्षक को अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाकर परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित अनुमति प्रदान किया जाना अनिवार्य होगी।

(द) इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएॅ :–

1. परीक्षार्थी को लेखन लिपिक की सेवाएॅ मुफ्त प्रदान की जावेगी, जिसके लिए मण्डल द्वारा कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जावेगा।

2. ऐसे परीक्षार्थी, जिन्हें लेखन सहायक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, उन्हें एक अलग कक्ष यथासंभव भूतल पर उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी।

2.23 मण्डल का क्षेत्राधिकार :–

म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल का कार्य प्रवेश परीक्षा का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा। परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा। मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।

2.24 अभिलेखों का संधारण :–

मण्डल द्वारा परीक्षा आयोजन उपरांत अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से छः माह तक परीक्षा से संबंधित अभिलेखों का संधारण किया जायेगा। इसके पश्चात् परीक्षा से संबंधित समस्त अभिलेखों/दस्तावेजों को रद्दी घोषित व नष्ट कर दिए जायेंगे।

2.25 न्यायिक क्षेत्राधिकार :–

परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकारी (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

———0———

अध्याय–3
लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम

(1) होम्योपैथी (कंपाउंडर) / फार्मेसिस्ट(कंपाउंडर)

(I) शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान सैद्धातिंक

a. मानव शरीर के अंग प्रत्यंग, कोष्ठ, अवयव, त्वचा, कला, लिंगामेंट आदि।
b. शिरा धमनी, कंश वाहिनी, लिम्फ, वंसल्स और नोड्स का सामान्य ज्ञान ।
c. रक्त संगठन, रक्त परिचाप तथा हृदय की रचना ।
d. प्रजनन संस्थान, पुरूष व स्त्रियों की जननेद्रियां, शुक्राणु, अंडाकोंश, डिम्ब गर्भाशय आवरी आदि का संक्षिप्त ज्ञान ।

(II) मटेरिया मेडिको होम्योपैथिक ओषधियों की सूची का संक्षिप्त परिचय :–

होम्योपैथिक ओषधियों की सूची	बायोकेमिक ओषधियां
a. एकोनाईट b. एटिंम टार्ट c. आर्सेनिक अल्ब d. ब्रायोनिया e. चायना f. जेल्सिमिसम g. इपीकाक h. लेडमपाल i. मर्कसाल j पल्सेटिला k. सीपिया l. सल्फर	a. केल्केरिया फलोर b. केल्केरिया फास c. केल्केरिया सल्फ d. फेरम फास e. काली सल्फ f. मेग फास g. नेर्ट्रम सल्फ

(III) होम्योपैथिक फारर्मेसी सैद्धातिंक एवं व्यवहारिकः–

सैद्धातिंक

a. परिचय, तथा होम्योपैथिक फार्मेसी की विशेषता ।
b. होम्योपैथिक फारर्मेसी की मटेरिया मेडिका तथा राष्ट्रीय बचत से संबंध ।
c. वनज माप होम्योपैथिक दार्शनिक तथा सताशानिक प्रणाली माप ।
d. मूल अर्क घोल शक्तिकरण तथा विचूर्ण बनााने की विधियां ।

व्यवहारिक

a. 30 होम्योपैथिक औषधियों को एकत्र कर हरवेरियम बनाना
b. रोगी उपचार पत्रक पढ़कर औषधि वितरण करना तथा उयकी खरांक लेने का तरीका बताना ।

(IV) मातृ शिशु रोग वरिचय एंव उपचार –
a. मातृ एंव शिशु स्वास्थ्य, स्कूल स्वास्थ्य मेला तथा स्वास्थ्य शिक्षा आदि । प्रसूति से संबंधी, रोग परिचय

एवं उपचार बालरोग एंव उनका उपचार ।

b. राष्ट्रीय स्वास्थ्य समस्यायें, नगरीय एवं पिछड़े क्षेत्र अन्य स्वास्थ्य संबंध समस्यायें उनका प्रशासन तथा अंतराष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंध ।

c. परिवार कल्याण के साथ ही रोग निवारण एंव समाल संबंधी औषधियां, गर्भ निरांधक, जनसंख्या नियंत्रण,स्वास्थ्य एवं रोग से संबंधित आर्थिक पहलू और वातावरण ।

(V) आकस्मिक चिकित्सा एंव व्यक्तिगत एंव पब्लिक हाइजीन–

a. भोजन और पोष्टिक पदार्थ, भोजन का स्वास्थ्य और रोग से संबंध, संतुलित आधार पोष्टिक आहार की न्यूनतम और सर्वेक्षण खाद्य, अपमिश्रण और उसकी जॉच, दूध को पाश्चूरीकृत करना तथा आहार एवं निर्माण संबंधी जानकारी व विकृत भोजन से होने वाले, फूड पाइजनिंग ।

b. व्यक्तिगत स्वास्थ्य सफाई, आराम, नींद कार्य शारीरिक व्यायाम संबंधी शिक्षण का सामान्य व्याख्ययन।

c. जल प्रदाय–स्त्रोत्र और उपयोग, अशुद्धता और शुद्धीकरण एंव ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक जल प्रदाय । पीने का पानी के मानक आद्रश जल जन्य रोग का संक्षिप्त परिचय ।

d. त्योहार एवं मेलों में सफाई व्यवस्था ।

(VI) राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, सांख्यिकी एंव परिजनों का ंसधारण

<u>रोकथाम करने वाली औषधियां</u>

a. स्वास्थ्य के लक्ष्ण रोगों और अरोग्य के कारणों के समाजिक कारण, रेागी से संबंधित सामाजिक समस्याओं, सामुदायिक रूप से फेलने वोल रोग जैसे प्लेग, चेचक, डिप्थीरियर, कुष्ठ, क्षय, मलेरिया, काली खांसी, मीजेल्स, चिकिनपाक्स पाकलियोख पीलिया, यकृतशोध, दृष्टिरोग, आम्रज्वर, पेचिस आदि का संक्ष्प्ति वर्णन और उनके रोकथाम के उपाय, टीकाकरण आदि ।

b. स्वास्थ्य संबंधी सांख्यिकी, सिद्धान्त का प्रारंभिक मौलिक ज्ञान रिकार्ड कीपिंग।

---

(2) <u>यूनानी (कंपाउंडर)</u>

(I) उमरे तबिया

a. इल्मे तिब की तारीफ, मोजूअ, गर्ज ओ गाायत, तबियत की तारीफ व अहमयित।

b. अरकान, मिजाज, अख्लात, आजा, अरवाह, कुवा, अफआल का मुख्तसिर बयान ।

(II) तहफफुजी व समाजी तिब (प्रीवेंटिव एण्ड सोशल मेडिसन)

a. वैक्सिनेशन (नेशनल इम्मयूनाइजेशन शिड्यूल) असबाबे सित्त जरूरया, फेमिली प्लानिंग, डब्लू. एच.ओ. यूनिसेफ, ऐंटिनेल केयर ।

(III) तशरीहुल बदन (एनाटमी)

a. तारीफ एनाटमिकल पोजीशन, मुताल्लिका इस्तलाहात ।

b. निजामे आसाग का बुनियादी तार्रुफ ।

(IV) मुनाफल आजा (फिजीयोलॉजी)

a. खिलिया व नसीज का मुख्तसिर बयान, खून के अजज़ा व अफजाल, कुर्रियाते हुमरा की साख्त व अफआल, खून का इन्माद ।

b. निजामे हज्मः लुआबे दहन, रतूबते मेदा, रतूबते अमआ, रतूबते सफराविया ।

(V) सैदला

a. सैदला की तीरीफ व अहमियत ।

b. आमाले दवासाजीः दक, रज, तहमीस, तदहीन, तशविया, तरवीक, जतफीफ, तबलौर तबरवीर, तरसीब, एहराक, तकलीस, तकशीर, धनाब, तहबीब, इरगा, तसवील मतबूख ।

c. अदविया से रोगन कशीद करना ।

d. अदविया का मुदब्बिर करनाः जीरा, अफयून, अन्जरूत, एूलवा, भिलावा, अजाराकी, गन्धक, पारा, गारीकून, हलैला ।

(VI) सैदला

a. दवाओं का तहफ्फुज, दवाओं की पैंकिंग, फार्मेसी के करकार्ड का रख–रखाव, दवाओं का वितरण ।

....

(3) आयुर्वेद (कंपाउंडर)

1. अष्टांग आयुर्वेद का संक्षिप्त परिचय आयुर्वेद की परिभाषा, एवं उद्देश्य तथा आयु की परिभाषा एवं लक्षण।
2. आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत पंचमहाभूत, विदोष, सप्तधातुऐं, उपधातु, मल, त्रयउपस्तभं, षडपदार्थ, मन, आत्मा, इन्द्रियां
3. शरीर की परिभाषा, शरीर का ज्ञान का प्रयोजन, पुष्पश षंडगशरीर, गणना शरीर, गर्म, स्रोतस, शरीर के विभिन्न अवयवों एवं अंगों का संक्षिप्त ज्ञान ।
4. स्वस्थ लक्षण, परिभाषा, दिनचर्या, रात्रि चर्चा, धारणीय–अधारणीय वेग ।
5. आहार, परिभाषा, संतुलित आहार, पथ्यापथ्य ।
6. विभिन्न ओषधियों के निर्माण प्रक्रिया एवं संरक्षण का ज्ञान, औषधियों का मान–प्रमाण, विभिन्न कल्पनाओं का ज्ञान–सवरस, कल्क, क्वाथ, हिम फाण्ट आदि ।
7. पेया, विलेपी, अकृतयूष, कृतयूप, मॉसरस, कृशरा आदि का निर्माण ।
8. द्रव्य परिभाषा का रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव कर्म का सामान्य परिचय ।
9. जांगम एवं स्थिर विष का प्रकार, घातक मात्रा, मारक काल, लक्षण प्रतिरोधात्मक उपाय ।
10. मातृ एवं शिशु कल्याण, परिवार कलयाण, टीकाकरण कार्यक्रम, मलेरिया अंधत्व निवारण, राजयक्ष्मा, कुष्ठ एंव एड्स निवारण आदि राष्ट्रीय सवास्थ्य कार्यक्रमों का ज्ञान ।
11. यंत्र शस्त्र एवं पट्टबंधन का सामान्य परिचय ।
12. मुख रोग, नेत्र रोग, नासा रोग, कर्ण रोगों की सामन्य जानकारी एवं चिकित्सा ।
13. स्त्रियों एवं बालकों में होने वाले रोगों का सामान्य ज्ञान ।
14. संक्रामक रोगों के संबंध में ज्ञान ।
15. अत्याधिक चिकित्सा– आकस्मिक अपघात एवं उसका उपचार, रक्त रोकने के उपाय, अग्निदग्ध, जल में डूबने पर, अस्थि भग्न होने पर, दम घुटने पर, अकस्मात मूर्छित हो जाने पर, आकस्मिक दुर्घटना में घायल होने पर प्रारंभिक चिकित्सा एवं सहायता की सामान्य जानकारी ।

----

(4) स्वास्थ्य कार्यकर्ता

(1) शरीर रचना एंव शरीर क्रिया, स्वास्थ्य वृत

1. शरीर रचना की परिभाषा, जीवन के लक्ष्ण-अंग प्रवयंग तथा शारीरिक संस्थाओं का परिचय-शरीर क्रिया की परिभाषा ।

2. अस्थि संस्थान-
   1. अस्थि कंकाल का सम्पूर्ण परिचय
   2. अस्थि संख्या, भेद, प्रमुख अस्थियों का परिचय
   3. सिर की अस्थियां
   4. अतः प्रकोष्ठास्थि, बहिः प्रकोष्ठास्थि, प्रगंडास्थि
   5. श्रेणी प्रदेश की पॉँच अस्थियां गुदास्थि
   6. कर्टि, जंघास्थि, अन्तः जंघास्थि
   7. अस्थियों के कार्य एंव उनका शल्य तांत्रिक महत्व
   8. मेरूदण्ड की सामान्य जानकारी

3. अस्थि सन्धि-
   1. परिभाषा, प्रकार, अंश, कर्पूर, मणिबन्ध, वंक्षण एंव जानु सन्धि का परिचय
   2. संधियों के कार्य एवं शल्य तांत्रिक महत्व

4. पेशियां-
   1. परिभाषा, प्रकार, संख्या एवं कार्य
   2. प्रमुख पेशियों का परिचय एवं ज्ञान

5. रक्त व संस्थान-
   1. ह्दय की रचना स्थान
   2. हृदय का कार्य, ह्दय एवं नाड़ी गति हद् शब्द
   3. धमनी एवं शिराओं का सामान्य परिचय
   4. रक्त व संवाहन क्रिया
   5. रक्त स्कंदन अवधि का आदि का ज्ञान

6. श्वसन संस्थान-
   1. नासारन्ध्र, स्वर यंत्र, श्वास नालिका एंव फुफ्फुस द्वय की स्थिति एवं स्वरूप का परिचय ।
   2. श्वास प्रश्वास क्रिया, श्वसन गति
   3. श्वासररोध, कृत्रिम श्वसन एंव इसके प्रकार, विधि
   4. श्वसन कार्य

7. पाचन संस्थान-
   1. मुख्य दन्त, कण्ठ, ग्रसिनिका, आमाशय, शुद्रान्त, वृहद्‌ान्त्र, मलशय की स्थिति एवं इनके स्वरूप और कार्य
   2. यकृत, प्लीहा एंव अग्नाशय की स्थिति, स्वरूप एवं कार्य
   3. आहार की पाचन क्रिया वर्णन
   4. आहार रस, शोषण क्रिया का ज्ञान

8. उत्सर्जन संस्थान-
   1. उत्सर्जन अंगों का परिचय, स्थिति, स्वरूप एवं कार्य का ज्ञान
   2. मूत्र के घटक, शरीर में जल एंव लवण संतुलन क्रिया का ज्ञान

9. प्रजनन संसथान–
   1. पुरूष प्रजनंनगों का परिचय, बाह्य एवं आभ्यान्तर अंगों की स्थिति स्वरूप एवं कार्य
   2. पुरूष जननागों का शल्य तंत्रीय महत्व परिवार कल्याण कार्यक्रम में
   3. स्त्री प्रजनागों–योनि गर्भाशय, बीज वाहिनी, बीज ग्रन्थि की स्थिति
   4. आर्तव, आर्तव चक्र
   5. शुक्र एंव शुक्राणुओं की संख्या, स्वरूप आदि का ज्ञान

स्वास्थ्य वृत्त

1. परिभाषा–
   1. स्वास्थ्य की परिभाषा, व्याधि की अवस्था, रोग एवं अरोग्य के कारण

2. आहार–
   1. आहार एंव पोषण की परिभाषा, आहार पोषण एवं स्वास्थ्य का संबंध
   2. आहार के सामान्य घटक एंव उनके प्राप्ति साधन
   3. प्रतिदिन लिंगभेद, कार्यभेद, अवस्था भेद से आहार का निर्धारण कर आहार का निर्धारण करना
   4. संतुलित आहार की परिभाषा, पोषण की आवश्यकतानुसार उपलब्ध आहार द्रव्यों का निर्धारण
   5. गर्भिणी एंव शिशु पोषण के आधार पर आहार द्रव्यों का निर्धारण
   6. असंतुलित आहार के दुष्परिणाम एंव संबंधित रोग
   7. विभिन्न आहार द्रव्यों की पोषण शक्ति का ज्ञान
   8. आहार द्रव्यों की सेवन विधि एवं उचित पाक क्रिया का ज्ञान
   9. आहार द्रव्यों के उचित रख–रखाव आदि का ज्ञान
   10. विभिन्न प्रकार के दुग्ध एंव उनके उतपादकों का संगठन एंव उपयोगिता
   11. घी, तेल, शर्करा आदि की पोषण शक्ति का ज्ञान
   12. जीवनी ततव एवं उनके प्राप्ति के साधन, मात्रा एवं कमी से होने वाले रोग

3. विहार–
   1. दिनचर्या, प्रातः मुहर्त में उठकर शौच विसर्जन क्रिया, दंत घावन अभ्यंन व्यायाम आदि दैनिक क्रियाओं का महत्व एवं उपयोगिता ।
   2. गभावस्था के दौरान एवं प्रसूति पश्चात् किये जाने वाले विशिष्ट व्यायामों का ज्ञान
   3. मासिक धर्मकाल में विशेष साफ–सफाई एवं उसका महत्व
   4. रात्रिचर्या सोने के स्थान एंव वातावरण, शयन के समय की मासिक अवस्था, निद्रा एंव सुलभता का ज्ञान

4. वायु–
   1. शुद्ध वायु का संगठन, निवास स्थान में वायु के प्रवेश एंव निकास की उचित व्यवस्था
   2. वायु को अशुद्ध करने वाले कारणों का ज्ञान अशुद्ध वायु के सेवन से उपन्न दुष्प्रभावों का ज्ञान
   3. वायु शुद्धि के सामान्य उपायों का ज्ञान, वायु का स्वास्थ्य में महत्व

5. जल–
   1. जल प्राप्ति के विभिन्न स्त्रोतों का ज्ञान, जल में मिलने वाले दूषित तत्वों की जानकारी
   2. जल शुद्धि के सामान उपायों का ज्ञान
   3. अशुद्ध जल के सेवन से उतपन्न होने वाले रोगों की जानकारी एंव उनके प्रतिरोधात्मक उपायों का ज्ञान

रोगी परिचर्या एंव चिकित्सा

1. रोगी परिचारिका–
   1. रोगी परिचर्या क्या है, उसका सिद्धांत एंव महत्व
   2. स्वास्थ्य क्या है, रोगी क्या है, रोग क्या है, इसके कारण
   3. एक आदर्श स्वास्थ्य कार्यकर्ता एंव परिचारिका के गुण एंव कर्त्तव्य

2. चिकित्सालय–
   1. घर पर क्लीनिक, विद्यालय चिकित्सालय आदि स्थानों में स्वास्थ्य परिचारिका के कर्त्तव्य
   2. चिकित्सालय एवं औषधालय के कार्यो का परिचय एंव प्रमुख कर्त्तव्य
   3. वार्ड का महत्व विभाजन एवं उद्‌देश्य

3. औषधि–
   1. औषधि क्या है, कितने प्रकार से दी जाती है
   2. अनुपात क्या है, अनुपात का महत्व, औषधि ग्रहण करने में समय का महत्व
   3. अवस्थानुसार एंव रोगानुसार औषधि देने की विधि

प्रसूति तंत्र

1. स्त्री जननेन्द्रियां–
   1. बाहय जननेन्द्रियां–भग, मूत्र द्वार, बृहद भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ यौनिछ्द्द, मूलाधार
   2. अन्तः जननेन्द्रियां, बर्हिमुख, आभ्यानतर मुख, ग्रीवानलिका गर्भशय, डिम्ब वाहिनीनली, दिम्ब ग्रन्थि

2. अन्तः स्त्रावी ग्रन्थियां–
   1. प्रजननांगों से संबंधित अन्तः स्त्रावी ग्रंथियों का सामानय परिचय काग्र, महत्व विकृति से होने वाले उपद्रव

3. गर्भ विकास क्रम
   1. गर्भ शिशु के क्रमिक विकास का ज्ञान
   2. डिम्ब, प्लेसेन्टा क्या है, कैसे, कहां एवं कब बनता है
   3. इसका गर्भस्थ शिशु में कार्य, प्रसूति के समय निर्गमन

4. गर्भिणी चर्या–
   1. गर्भिणी को आहार की सलाह
   2. गर्भिणी को विहार की सलाह

5. गर्भ प्रकरण–
   1. गर्भावस्था के कारण होने वाले शारीरिक परिवर्तन, अनार्तव प्रातः वमन, उदर वृद्धि, स्तनगत परिवर्तन, योनिगन पविर्तन गर्भऋद स्पन्दन
   2. प्रथम त्रैमासिक के लक्षण सावधानियां, आहार विहार की सलाह
   3. द्वितीय त्रैमासिक के लक्षण सावधानियां, आहार विहार की सलाह
   4. तृतीय त्रैमासिक के लक्षण सावधानियां, आहार विहार की सलाह

6. प्रसव–
   1. आसन्न प्रसव के लक्षण, प्रसव पूर्व सावधानियां
   2. प्रसव की तीनों अवस्थायें क्या है सावधानियां एंव उपद्रव
   3. सालाच्छेदन क्या है सावधानियां
   4. मातृ गर्भ क्या है कारण, लक्षण, सावधानी एवं सलाह
   5. प्रसव पत्रक क्या है महत्व, तैयार करना एंव रख–रखाव प्रसव रजिस्टर भरना

परिवार कल्याण

1. परिवार कल्याण क्या है ?
   1. परिवार कल्याण का महत्व एवं आवश्यकता
   2. परिवार कल्याण से संबंधित सामान्य उपदेश
   3. उपदेशों का महत्व एंव संबंधित जानकारी

2. अधिक संतान होने से परिवार पर प्रभाव–
   1. अधिक संतान होने से स्वास्थ्य पर प्रभाव
   2. माता के स्वास्थ्य पर प्रभाव
   3. परिवार समाज देश पर आर्थिक रूप से प्रभाव
   4. अधिक संतान होने से होने वाली विषम परिस्थितियां
   5. छोटे परिवार का महत्व

3. परिवार कल्याण–
   1. परिवार कल्याण की विधियां एंव उनका महत्व
   2. कोपरटी एवं लूप क्या है उनका उपयोग एंव रचना
   3. कोपरटी लगाते समय सावधानियां उपद्रव एवं उनका निराकरण
   4. फालोआ एवं मेजिलमेंट

4. निरोध क्या है–
   1. निरोघ क्या है, कैसे उपयोग करते है इसका महत्व
   2. प्रत्येक माह निरोध वितरित करने की संख्या एंव उनका महत्व
   3. सी0सी0यूज क्या है, महत्व
   4. निरोध वितरण पंजी का बनाना एंव मेन्टेन कना

5. नसबन्दी–
   1. दो बच्चों के परिवार का महत्व
   2. दो बच्चों के बीच दमपत्तियों को दी जाने वाली सलाहों की जानकारी एंव उनका महत्व
   3. नसबन्दी योग्य दम्पत्तियों को पहिचानना

6. टीकाकरण एंव रोग–
   1. टीके की जानकारी कब लगाते हैं
   2. कुकंर खांसी क्या है उसका लक्षण एंव उपाय, कौन सा टीका कब दिया जाता है
   3. पोलियो क्या है लक्षण, बचने के उपाय किस आयु में कौन सा टीका देते हैं ।
   4. बाय–क्या है, लक्षण एंव बचने के उपाय एंव कौनसा टीका देते हैं ।

7. टीकाकरण समय की सावधानियां
   1. क्या सावधानियां रखनी चाहिये क्यों रखना चाहिये
   2. टीका लगाने के पश्चात् क्या उपद्रव होते हैं तथा उन्हें दूर करने के क्या उपाय हैं
   3. टीकाकरण पश्चात् माता–पिता को क्या सावधानियां बतायेंगे
   4. टीकाकरण के बाद अनुसरण कार्य (फालोअप) की जानकारी

8. अन्य कार्यकर्ताओं को सहयोग एंव शिशु रक्षक मेले का महत्व–
   1. स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को सहयोग किस प्रकार करना
   2. रिकार्ड किस प्रकार रखते हैं । पंजीयन किस प्रकार करते हैं
   3. रिपोटिंग किस प्राकर करते हैं
   4. शिशु रक्षक मेलों का महत्व
   5. संक्रामक रेागों में टीकाकरण की जानकारी एंव महत्व

————0—————

प्रारूप–1
(देखें नियम 2.18)

प्रश्न–पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन
(नोट– यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
अभ्यार्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यार्थी का नाम	
अभ्यार्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यार्थी का सेट क्रमांक	

उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न–पत्र में निम्नलिखित प्रश्न/उत्तर उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :–

स0क्र0	प्रश्न क्रमांक/ उत्तर क्रमांक	त्रुटि का विवरण	साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है । कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें ।

आवेदक के हस्ताक्षर..................................
आवेदक का नाम......................................

स्थान ....
दिनांक ....

प्रारूप–2
(देखें नियम 2.19)

आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन
(नोट– यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
अभ्यार्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यार्थी का नाम	
अभ्यार्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यार्थी का सेट क्रमांक	

मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित सेट क्रमांक .... के आदर्श उत्तर में निम्नलिखित उत्तर त्रुटिपूर्ण है :–

स.क्र.	उत्तर क्रमांक	आदर्श कुंजी में प्रदर्शित उत्तर	अभ्यार्थी के अनुसार उत्तर	उत्तर के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

आवेदक के हस्ताक्षर..................................

दिनांक ....

प्रारूप–3

मध्यप्रदेश शासन के आयुष विभाग के अंतर्गत पैरामेडीकल स्टॉफ की सीधी भर्ती, सीधी भर्ती– बैकलॉग एवं संविदा भर्ती के विभिन्न रिक्त पदों हेतु चयन परीक्षा–2013

मध्यप्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसेः–बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटाग्राफ संलग्न करे

1. आवेदक का नाम :– ....
2. पिता का नाम :– ....
3. माता का नाम :– ....
4. लिंग (पुरूष/महिला) :– ....
5. जन्मतिथि :– ....
6. आदिम जनजाति का नाम :– ....
7. वर्ग (विकलांग/भूतपूर्व सैनिक) :– ....
8. शैक्षणिक योग्यता का विवरण :– ....
9. कार्यअनुभव का विवरण :– ....
10. विशेष/अन्य विवरण :– ....
11. पदवार विभाग का विकल्प(नियम पुस्तिका की कण्डिका 1.3 अनुसार):–

स0क्र0	श्रेणी	पदनाम	सीधी भर्ती/सीधी भर्ती–बैकलॉग/संविदा भर्ती
01.	अनुसूचित जनजाति		

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर :–......................................

दिनांक :– ....

निवास का पता :– ....

....

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्रः–

1. कक्षा दसवी की अंकसूची
2. कक्षा बारहवी की अंकसूची
3. नियम पुस्तिका की कण्डिका 1.4 में उल्लेखित पदवार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता सें संबंधित अंकसूची/प्रमाण पत्र
4. मध्यप्रदेश का मूलनिवासी प्रमाण पत्र
6. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र
7. विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक होतो)
8. भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक होतो)

सहमति प्रमाण–पत्र

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा मध्यप्रदेश शासन के आयुष विभाग के अंतर्गत पैरामेडीकल स्टॉफ की सीधी भर्ती, सीधी भर्ती– बैकलॉग एवं संविदा भर्ती के विभिन्न रिक्त पदों हेतु चयन परीक्षा–2013 के लिए तैयार की गई नियमपुस्तिका में उल्लेखित समस्त नियम व जानकारी की पुष्टि व सहमति प्रदान की जाती है तथा अध्याय–1, 2 एंव 3 में दी गई समस्त जानकारी के संबंध में किसी भी विवाद आदि के लिए यह विभाग जवाबदेह होगा। तैयार नियमपुस्तिका के अनुसार परीक्षा आयोजन में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है तथा परीक्षा आयोजन के संबंध में विभाग अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

तद्नुसार यह सहमति प्रमाण–पत्र सत्यापित/हस्ताक्षरित कर प्रदान किया जाता है।

भोपाल, दिनांक :

सत्यापनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम :–...

पदनाम :–...

सील :–..